दिनांक: 09.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.02.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 NBW वारन्टी **अभियुक्त अमित अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल नि0 देवबन्द रोड़ कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1061/20 धारा 323/452/504/506 भादवि व 3(1) द, एससी/एसटी एक्ट मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश न्यायालय एससी/एसटी एक्ट सहारनपुर नियत दिनांक 17.02.2024 को कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अमित अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल नि0 देवबन्द रोड़ कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।
2. का0 404 मनीष थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

दिनांक: 09.02.2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 बोतल अंग्रेजी शराब मैकडावल हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब/नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.02.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त राहुल पुत्र कवंरपाल नि0 ग्राम घसोती थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को 05 बोतल अंग्रेजी शराब मैकडावल हरियाणा मार्का सहित घसौती रजबाहे पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 39/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम राहुल उपरोक्त के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. राहुल पुत्र कवंरपाल नि0 ग्राम घसोती थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

05 बोतल अंग्रेजी शराब मैकडावल हरियाणा मार्का

अभियुक्त राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 297/24 धारा 323/427/504 भादवि थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. मु0अ0स0 39/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जसबीर सिह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. का0 404 मनीष थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 09.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर/अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी गाडी i-20 बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.02.2024 को वादी श्री अमन गुलाठी पुत्र चरणजीत गुलाठी निवासी सुभाष नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की कार आई-20 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 22/2024 धारा 379 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण हेतु चोरी घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सुनील कुमार नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.02.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तगण 1. **प्रीत सैनी पुत्र अमित सैनी निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 2. सोनित पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को दबनी कब्रिस्तान के बराबर वाले रास्ते से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी गाडी आई-20 सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त प्रीत सैनी उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं गुरुद्वारा रोड वर्कशाप अकरम मोटर रिपेयरिंग पर काम करता हूँ और मेरा दोस्त सोनित मेरे ही गांव का रहने वाला है और ड्राइविंग का काम करता है। यह गाड़ी ठीक होने के लिए वर्कशाप आयी थी और मेरे वर्कशाप के सामने ही खड़ी थी। हम दोनो पैसों के लालच में योजना बनाकर गाड़ी को चोरी कर लिया था और गाड़ी मालिक से बता दिया कि आपकी गाडी चोरी हो गयी है। आज हम लोग इसे बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

1. प्रीत सैनी पुत्र अमित सैनी निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. सोनित पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- गाडी I-20 sportz UK08Y9786

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमकार सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 559 सन्नी राणा, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 639 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अपने चाचा की हत्या करने वाला हत्यारोपी भतीजा गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा के बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2024 को वादी श्री सोरण पुत्र टिक्का सिंह निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त संजय द्वारा मेरे भाई राजपाल सिंह की गोली मार कर हत्या कर देने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 302 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.02.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गहनता से छानबीन व त्वरित कार्यवाही करते हुए **अभियुक्त संजय पुत्र सोरण निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को गांव फरीदपुर से ग्राम ईस्माइलपुर की ओर जाने वाले रास्ते से 01 तमन्चा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त संजय उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 21.01.24 की सुबह करीब 7-8 बजे मैने अपने चाचा राजपाल पर गुस्से से फायर कर दिया था क्योकि वह मुझे अपने हिस्से की जमीन नही दे रहा था व सारी जमीन मेरे छोटे भाई संदीप को दे रखी थी अभी कुछ दिन पहले मेरे चाचा राजपाल ने खेत में से साझे के पोपलर के पेड कटवाये थे जिसमें उसे कुल 42 हजार रूपये मिले थे जिसमें करीब 07 हजार रूपये मेरे हिस्से में भी आते थे जो उसने मुझे नही दिये इस बात को लेकर कई दिनो से मेरे मन में गुस्सा था जिसके चलते मैने अपने चाचा राजपाल को गाँव में ही खेत पर गोली मार दी थी और दिनांक 23.01.2024 को राजपाल की मृत्यु हो गयी थी तो मै अपने चाचा राजपाल को लेने चण्डीगढ भी गया था जिससे किसी को शक ना हो कि मैने ही राजपाल की हत्या की है यह बात मैने किसी को नही बतायी थी आज की रात में मुझे पता लगा था कि मेरे पिताजी ने मेरे खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है तो आज मै कही बाहर जाने के लिए यहाँ खडा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

(1) संजय पुत्र सोरण निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः

01 तमन्चा व 01 कारतूस 315 बोर (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 श्री विपिन मलिक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2- का0 478 पंकज सैनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

3- का0 1076 मनोज धामा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण,अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 **अभियुक्त शौकीन पुत्र मुनीर उर्फ पप्पू निवासी मौ बडी खानकाह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को ग्राम अलीपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 01 नाजायज तमांचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 59 /2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं रोब गालिब करने के लिये तमंचा अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

शौकीन पुत्र मुनीर उर्फ पप्पू निवासी मौ बडी खानकाह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी-

01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) उ0नि0 मुनाजि हुसैन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

(2) है0का0 655 कमलेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

(3) का0234 अरूण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।